

## सप्तदश बिहार विधान सभा

## सप्तम सत्र <br> दैनिक विवरणिका

संख्या-03
वृहस्पतिवार, दिनांक-15 दिसम्बर, 2022 ई०।
माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।
समय : 11.00 बजे पूर्वाहन से 12.53 बजे अपराहन तक।
सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने में सहयोग करने तथा अपने स्थान पर बैठ जाने के उपरान्त आसन द्वारा अवसर दिये जाने पर ही अपनी बात रखने का अनुरोध किया गया।
[1] प्रश्नकाल :-
(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 07 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iii) 19 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 17 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-222 सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित।
(vi) 89 तारांकित प्रश्न अनागत।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज के लिए सूचीबद्ध सभी अल्पसूचित प्रश्नों एवं तारांकित प्रश्नों के शत-प्रतिशत उत्तर विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा सभी मंत्रिगण धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रश्नकाल के दौरान मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री श्रवण कुमार द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर सदन में उत्तेजना फैलाने का आरोप लगाया गया तथा उनके इस आचरण के लिए उनपर तत्काल कार्रवाई किये जाने का अनुरोध आसन से किया गया।
[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-
माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी, श्री जिवेश कुमार, श्री केदार प्रसाद गुप्ता एवं श्री जनक सिंह द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में बैठ गये तथा शोरगुल करने लगे।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाने तथा आसन की अनुमति से उचित समय पर अपनी बातों को रखने का अनुरोध किया गया, परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल और नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।
[3] शून्यकाल :-
शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-
(i) श्री अखतरूल ईमान
(iii) श्री अरूण सिंह
(v) श्री भरत बिंद
(vii) श्री रामबली सिंह यादव
(ix) श्री अचमित ऋषिदेव
(xi) श्री भूदेव चौधरी
(xiii) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xv) श्री इजहारूल हुसैन
(xvii) श्री सत्यदेव राम
(xix) श्री संजय कुमार गुप्ता
(xxi) श्री विनय कुमार
(xxiii) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(xxv) श्री राम विशुन सिंह
(xxvii) श्री विनय कुमार चौधरी
(xxix) श्री अमरजीत कुशवाहा
(xxxi) श्री सुर्यकान्त पासवान
(ii) श्री रणविजय साहू
(iv) श्रीमती नीतु कुमारी
(vi) श्री ललित नारायण मंडल
(viii) श्री राम रतन सिंह
(x) श्री भीम कुमार सिंह
(xii) श्री अजीत कुमार सिंह
(xiv) श्री महा नंद सिंह
(xvi) श्रीमती मंजु अग्रवाल
(xviii) श्री रामविलास कामत
(xx) श्री प्रफुल्ल कुमार मॉँझी
(xxii) श्री मोहम्मद अनजार नईमी
(xxiv) श्री मुकेश कुमार यादव
(xxvi) श्री मनोज मंजिल
(xxviii) श्री सुदामा प्रसाद
( xxx ) श्री गोपाल रविदास
[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-
(i) माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य सभासदों का सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित तथा दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती लेशी सिंह द्वारा दिया गया।
(ii) माननीय सदस्य, श्रीमती शालिनी मिश्रा एवं अन्य सभासदों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्रीमती शालिनी मिश्रा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा इसका उत्तर दिया गया।
(iii) माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा एवं अन्य सभासदों का खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री. खान एवं भूतत्व विभाग, डॉ० रामानन्द यादव द्वारा इसका उत्तर दिया गया।
[5] समा मेज पर कागजात का रखा जाना :-
(i) माननीय सभापति. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति श्री हरि नारायण सिंह द्वारा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीयूूशन कम्पनी लिमिटेड से संबंधित समिति का 214 वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
(ii) माननीय समापति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, श्री जीतन राम माँझी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना से संबंधित समिति का 36 वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

तत्पश्चात् समा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।
भोजनावकाश के बाद
(02.00 बजे अपराहन से 02.35 बजे अपराहन तक)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)
सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मागों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदर्यगण से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया।
[6] वित्तीय कार्य :-
माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की माँग सदन द्वारा स्वीकृत हुई।
[7] विधायी कार्य :-

## राजकीय (वित्तीय) विधेयक

1. "विहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022"

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरस्स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

भाननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।
तदुपरान्त "बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022" सदन से स्वीकृत हुआ। राजकीय विधेयक

## 2. "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022"

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरस्थथापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजुद माननीय सदस्य. श्री संजय सरावगी एवं श्री जनक सिंह द्वारा क्रमशः जनमत जानने का प्रस्ताव तथा विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त खण्डशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।
तदुपरान्त "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक. 2022" सदन से स्वीकृत हुआ।
इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।
3. 'विहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022"

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरस्थथापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य. श्री संजय सरावगी के अनुपस्थित रहने के कारण जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी एवं श्री जनक सिंह के अनुपस्थित रहने के कारण विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त खण्डशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।
तदुपरान्त "बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022" सदन से स्वीकृत हुआ।
[8] निवेदन :-
आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 48 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के 11.00 बजे पूवाहन तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-15.12.2022

पवन कुमार पाप्डेय प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा. पटना।

